अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर
पीठासीन अधिकारी संदेश नायक आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 36/2025 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. करण सिंह पुत्र मोहन सिंह
2. श्रीमती रितू कंवर पत्नी श्री करण सिंह

जाति राजपूत, निवासी 663–ए, खटीको का मोहल्ला, झालाना ग्राम कच्ची बस्ती, मालवीय नगर, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती कोयली देवी पत्नी स्व॰ श्री प्रभू सिंह, निवासी मकान नम्बर 555 (सर्वे नम्बर 1025/2004) केलगिरी हॉस्पीटल के पास, झालाना कच्ची बस्ती, मालवीय नगर, जयपुर एवं 663–ए, खटीको का मोहल्ला, झालाना ग्राम कच्ची बस्ती, मालवीय नगर, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक।

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 25.06.2024 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 49/2022 ब उनवानी कोयली देवी बनाम विजय सिंह।

उपस्थितः–

1. अपीलार्थीगण मय प्रतिनिधि उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 मय प्रतिनिधि उपस्थित।

निर्णय **दिनांक 28.04.2026**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 49/2022 ब उनवानी कोयली देवी बनाम विजय सिंह में पारित निर्णय दिनांक 25.06.2024 से व्यथित होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 16819/2019 एवं एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 9707/2025 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2025 की पालना में यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 मय प्रतिनिधि उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष की सुनी गई।
4. अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–5 (1) के तहत माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 का अधीनस्थ अधिकरण उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2024 द्वारा प्रत्यर्थी एवं अधीनस्थ अधिकरण में अंकित प्रत्यर्थीगण को मकान नम्बर 663–ए, खटीकों को मौहल्ला, ग्राम झालाना कच्ची बस्ती, मालवीय नगर, जयपुर से बेदखल किये जाने के

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

आदेश पारित किये गये है। प्रत्यर्थी संख्या 1 का उक्त विवादित सम्पति पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 उक्त विवादित सम्पति पर निवास करती हो ऐसी कोई साक्ष्य अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत भी नहीं की गई। प्रत्यर्थी के पास उक्त विवादित सम्पति से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है जो यह सिद्ध करे कि उक्त सम्पति का टाईटल प्रत्यर्थी के पास हो। उक्त विवादित सम्पति पर निर्माण भी अपीलार्थी के पिता व ताऊ ने अपनी स्वअर्जित आय से निर्माण करवाया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 अपने पति की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी के रूप में पेंशन 25,000 से 30,000/–रूपये एवं भूखण्ड संख्या 555 (सर्वे नम्बर 1025/2004) केरगिरी हॉस्पिटल के पास, झालाना कच्ची बस्ती मालवीय नगर, जयपुर से किराये के रूप में 20,000/–रूपये से अधिक आय प्राप्त कर रही है जिससे वह स्वयं का भरण पोषण करने में सक्षम है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण अधिनियम 2007 की धारा–4 (1) में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि कोई वरिष्ठ नागरिक जो अपने अर्जन या स्वामित्वधीन सम्पति से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है तथा धारा–4(3) में यह प्रावधान है कि ऐसे माता–पिता जो सामान्य जीवन व्यतीत कर सके, वो ही धारा–5 के अन्तर्गत भरण पोषण हेतु आवेदन कर सकते है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा कानून का दुरूपयोग करने के उद्देश्य से झूंठा प्रार्थना पत्र अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास अपने आवास के लिये अन्यत्र स्थान उपलब्ध है। अधीनस्थ अधिकरण ने मात्र पटवारी की फर्द मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलार्थीगण को उक्त विवादित भूखण्ड संख्या 663–ए से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये है। उक्त मौका रिपोर्ट अपीलार्थीगण की उपस्थिति में नहीं बनाया गया है। मौका रिपोर्ट में उक्त विवादित सम्पति के स्वामित्व संबंधी कोई अंकन नहीं है। अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी संख्या 1 के सेवा सुश्रुषा करने व उसकी देखभाल करने को तैयार व तत्पर है। अधीनस्थ अधिकरण ने उक्त तथ्य को नजरंदाज करते हुये उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अधिकरण का अपीलाधीन आदेश निरस्त कराये जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि प्रत्यर्थिया के चार पुत्र जगदीश शेखावत, हरिसिंह शेखावत, विजय सिंह शेखावत एवं मोहन सिंह शेखावत एवं दो पुत्रिया श्रीमती राजू कंवर एवं श्रीमती संतोष देवी है। प्रत्यर्थिया ने अपनी मेहनत मजदूरी से मकान नम्बर 663–ए, खटीकों को मौहल्ला, ग्राम झालाना कच्ची बस्ती, मालवीय नगर, जयपुर का निर्माण करवाया था। प्रत्यर्थिया के पुत्र जगदीश शेखावत व हरिसिंह विवाह के पश्चात प्रत्यर्थिया को छोडकर चले गये एवं अन्य स्थानों पर रहने लगे परन्तुत विजय सिंह व मोहन सिंह विवाद के बाद भी प्रत्यर्थिया के साथ उसके मकान में रहते थे। प्रत्यर्थिया की जमा पूंजी को उसके पुत्रों ने हडप कर लिया तथा वह ना तो प्रत्यर्थिया की देखभाल करते है ना ही किसी प्रकार की कोई मदद करते है। अपीलार्थीगण प्रत्यर्थिया के पोता व पोता बहू है वो भी प्रत्यर्थिया को बेईज्जत करने व गाली गलौच करने, जान से मारने की धमकियां देते है तथा प्रत्यर्थिया के खून पसीने की कमाई से बने मकान पर कब्जा जमाये हुये है। अपीलार्थीगण उक्त मकान को षडयंत्रपूर्वक जबरन बेचना चाहते है। अधीनस्थ अधिकरण को आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

उभय पक्ष को सुनने, पत्रावली का अवलोकन किया गया है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2024 द्वारा अपीलार्थीगण एवं अन्य

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

को मकान नम्बर 663–ए, खटीकों की मौहल्ला, ग्राम झालाना कच्ची बस्ती, मालवीय नगर, जयपुर से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रत्यर्थी द्वारा केवल मात्र अपीलार्थीगण को उक्त विवादित सम्पति से बेदखल किये जाने की मंशा से अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण का आपस में उक्त सम्पति का विवाद है। प्रत्यर्थिया द्वारा उक्त विवादित सम्पति के स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे यह प्रमाणित होता है कि उक्त विवादित सम्पति प्रत्यर्थिया की स्वअर्जित सम्पति हो। सम्पति के विवाद हेतु पक्षकारान सक्षम न्यायालय में चाराजोई कर सकते है। प्रत्यर्थिया द्वारा उक्त अधिनियम में अपनी सुविधानुसार आधार बनाकर अपीलार्थीगण को विवादित सम्पति से बेदखल करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2024 निरस्त किया जाता है।

3. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदेश नायक)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर